मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर में

वे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे व करणी माता की पूजा-अर्चना करेंगे

■ **मुख्यमंत्री जयपुर से बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर दोपहर 1:10 बजे पहुँचेगे तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सायं 7:20 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिये प्रस्थान करेंगे।**

बीकानेर/जयपुर, 16 मई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे और जिले के देशनोक में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर जवानों के साहस और पराक्रम को नमन करेंगे।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर दोपहर 1:10 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 1.15 बजे प्रस्थान कर, वे दोपहर 1:35 बजे रिद्धि सिद्धि भवन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।

दोपहर 3:35 बजे यहां से प्रस्थान कर सायं 4 बजे वे पलाना गांव में एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद सायं 5:10 बजे देशनोक के करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद, देशनोक में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यहां से सायं 6:30 बजे प्रस्थान कर सायं 7:15 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा सायं 7:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले की जवाबी कार्रवाई "आपरेशन सिंदूर" में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था। इस ऑपरेशन की गौरवमयी सफलता पर देशभर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बीकानेर के देशनोक में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान, मुख्यमंत्री देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलज़ार को ज्ञानपीठ सम्मान

नयी दिल्ली, 16 मई । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां एक समारोह में संस्कृत के विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने इस अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलज़ार को भी बधाई दी जो अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने गुलज़ार जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

मुर्मु ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है।

गुजरात समाचार, मालिक, बाहुबलि शाह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने भारी ''साज़िश'' बताया

■ **पत्रकारिता से जुड़े लगभग सभी संगठन व संस्थाओं, जैसे प्रैस क्लब ऑफ इण्डिया, वुमन्स प्रैस कॉर्प्स प्रैस एसोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड, डैल्ही यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स आदि ने गुजरात के सबसे बड़े व प्रमुख अखबार के मालिक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को ''जनता की आवाज़'' दबाने की साज़िश बताया।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) द्वारा गुरुवार देर रात गुजरात समाचार अखबार के मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी की चारों ओर से निंदा की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज इस कार्रवाई को सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों के खिलाफ एक साज़िश करार दिया।

ईडी ने बाहुबली शाह को, जो अपने भाई श्रेयांश शाह के साथ इस प्रभावशाली अखबार के सह-मालिक हैं, 2016 से जुड़े एक सेबी मामले में गिरफ्तार किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गिरफ्तारी का समय कई अनुत्तिरत सवाल उठाता है।

राहुल गांधी ने हिंदी में सोशल मीडिया पर लिखा, गुजरात समाचार को चुप कराने की कोशिश सिर्फ एक अखबार को बंद करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों के खिलाफ साज़िश है। जब वो अखबार, जो सत्ता को आईना दिखाते हैं, उन्हें बंद किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के खतरे में होने का संकेत है।

उन्होंने आगे कहा, "बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की राजनीति का हिस्सा है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार की पहचान बन चुका है। देश डर और डंडे से नहीं चलेगा, बल्कि सत्य और संविधान से चलेगा।"

गुजरात कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने गिरफ्तारी को बेहद शर्मनाक बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईडी ने आज गुजरात के सबसे बड़े अखबार गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया है, जो बेहद शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े है। यह गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है, क्योंकि इस अखबार ने पिछले 25 वर्षों से मोदी-शाह की नीतियों की आलोचना कर दिखाई है।

शाह बंधुओं के घर और दफ्तरों पर ईडी और इनकम टैक्स छापों के बाद गिरफ्तारी हुई है।

प्रख्यात गुजराती पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्य शीला भट्ट ने एक्स पर लिखा, "सरकार द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर कदम है। गिरफ्तारी के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हैं। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली शाह को जांच के लिए सरकारी वी.एस. अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, और फिर उन्हें ज़ायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, श्रेयांश शाह ज़ायडस अस्पताल में बाहुबली शाह की देखभाल कर रहे हैं। श्रेयांश शाह ने मीडिया को बताया कि वे "लड़ाई जारी रखेंगे।" दोनों भाईयों के पास अखबार के अलावा अन्य व्यवसाय भी हैं। श्रेयांश शाह को गुजरात की राजनीति का सबसे तेज दिमाग माना जाता है।"

ज्ञातव्य है कि इस महीने ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के मामलों में आरोप लगाने के पैटर्न पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति अभय ओका ने 2,000 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, हमने की कई शिकायतें देखी हैं। इसमें एक पैटर्न है, केवल आरोप लगाना, किसी ठोस संदर्भ के बिना।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा, "ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के प्रमुख अखबार गुजरात समाचार पर रेड और कंपनी के निदेशक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी, लोगों की आवाज़ छीनने की कोशिश है। क्या भाजपा सरकार चाहती है कि कोई विपक्ष न हो, कोई मीडिया न हो और जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई न हो? उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है और जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता।

गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, वर्किंग न्यूज़ कैमरा पर्सन एसोसिएशन ने कहा कि यह कार्रवाई भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक गंभीर हमला है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी द्वारा हस्ताक्षिरत संयुक्त बयान में कहा गया कि गुजरात समाचार, जो स्वतंत्र पत्रकारिता की लंबी विरासत रखने वाला एक सम्मानित प्रकाशन है, गुजरात और उसके बाहर के लोगों की एक सशक्त आवाज़ रहा है। बयान में कहा गया, "एक बार फिर, ईडी की गिरफ्तारी मीडिया हाउसों को दबाने और असहमति की आवाज़ों को खामोश करने के लिए राज्य तंत्र के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है।"

बयान में यह भी कहा गया कि ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा बार-बार मीडिया को निशाना बनाना संविधान में निहित लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है और संस्थानों में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाता है।

गौतम लाहिड़ी ने आरोपों के बारे में पूरी पारदर्शिता की मांग करते हुए, अधिकारियों से प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के शासन के पालन की अपील की।

बयान में कहा गया कि लोकतंत्र में सत्ता की जवाबदेही तय करने में मीडिया की अहम् भूमिका होती है। मीडिया को कुचलना तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना बंद होना चाहिए। अंत में, बयान में सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और बाहुबली शाह को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जब तक कि पारदर्शी तरीके से कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश न किया जाए।

शशि थरुर भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आधिकारिक विचार नहीं हैं।

थरुर को प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाये जाने की केन्द्र सरकार की पेशकश को नुकसान रहित सामान्य प्रक्रिया माना जा रहा है, क्योंकि वे विदेशी मामलों से सम्बंधित संसद की स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, भले ही कांग्रेस के कुछ ग्रुप इसे, इस पूरे घटनाक्रम में एक राजनैतिक संदेश के रुप में देख रहे हों। थरुर के लिये राहत की बात यह है कि स्वयं कांग्रेस ने भी इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है, जो यूरोप के विभिन्न देशों सहित, अन्य कई देशों में जायेगा तथा वहाँ पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने आज इस बात की पुष्टि कर दी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस सम्बंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी तथा "कांग्रेस निश्चित रुप से इस (प्रतिनिधिमंडल) का हिस्सा रहेगी।" थरुर ने स्वयं भी इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाया है। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सरकार से कह दिया था कि वह इस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी से बात करे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिन्दूर और उसके बाद की स्थिति पर उनके विचार उनके "निजी विचार" थे।

कई प्रतिनिधिमंडल, जिनमें से प्रत्येक में 5-6 सांसद होंगे, विभिन्न देशों में जाकर पाक-समर्थित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। आशा की जा रही है कि ये प्रतिनिधिमंडल 22 मई को भारत से रवाना होंगे तथा जून के प्रथम सप्ताह में वापस आ जायेंगे। इनमें शामिल सम्भावित सांसद हैं- समिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, सम्बित पात्रा, सुप्रिया सुले तथा डी. पुरन्देश्वरी।

एकल पट्टा प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और सुनने का निवेदन किया। इस दौरान, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई माह में रखी है। गौरतलब है कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। जमीन तय सीमा से अधिक होने के कारण जेडीए ने साल 2005 में प्रकरण राज्य सरकार को भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने पट्टा देने से इनकार कर दिया। वहीं, साल 2009 में आवेदन होने पर जेडीए ने मामले को पुनः राज्य सरकार के समक्ष भेजा। राज्य सरकार ने साल 2011 में पट्टा जारी कर दिया, जिसे साल 2013 में निरस्त कर दिया गया। वहीं, रामशरण सिंह ने साल 2014 में एसीबी में शिकायत दी थी। मामले में हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई रद्द करते हुए, तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के इन आदेशों को रद्द कर पुनः छह माह में सुनवाई पूरी करने को कहा था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पुणे गए, वहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी. सतीश से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी माता स्नेहप्रभा वेलंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका हाल ही में निधन हो गया था।

सेना के रक्षा बजट में 50 हजार करोड़ रु. की वृद्धि

इसके बाद कुल रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगा

■ **समझा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार यह कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।**

नई दिल्ली, 16 मई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रक्षा बजट को 50 हजार करोड़ रुपये का बूस्ट देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप, भारत के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह वृद्धि संभवतः अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, यह वृद्धि कुल रक्षा आवंटन को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए 2025-26 के बजट में सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इस वर्ष का आवंटन पहले ही 2024/25 के 6.22 लाख करोड़ रुपये में 9.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बढ़ हुए बजट का उपयोग संभवतः अनुसंधान और विकास, तथा हथियार, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मांगी जाएगी।

डिफेंस सेक्टर पर 2014 से ही नरेन्द्र मोदी सरकार का फोकस रहा है। भाजपा सरकार के पहले वर्ष 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। वर्तमान आवंटन सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और कुल बजट का 13 प्रतिशत है।

भारत की रक्षा तैयारी और (संभावित) बजट आवंटन में वृद्धि, पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हुई है। यह विशेष रूप से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था

भारत ने चिनाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परियोजनाओं के निर्माण को तेज़ कर दिया है, जो पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस्लामाबाद का बहुत कुछ दांव पर है। पाकिस्तान की 80 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। नदी प्रवाह में कोई भी स्थायी कमी, चाहे वह संधि की सीमाओं के भीतर ही क्यों न हो, फसल चक्र को बाधित कर सकती है, भूजल भंडार को खत्म कर सकती है, और पंजाब तथा सिंध जैसे प्रमुख प्रांतों में जल संकट को और गहरा कर सकती है।

पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। हम पहले ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। यह हमें पूर्ण जल आपातकाल की ओर धकेल सकता है।"

जल विशेषज्ञों और भारत के पूर्व संधि वार्ताकारों का मानना है कि भारत सिंधु जल संधि के तहत गैर-उपभोगात्मक उपयोग, जैसे जलविद्युत उत्पादन, के लिए पश्चिमी नदियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार रखता है। हालांकि, हालिया बांध संचालन की समय-सीमा और बारंबारता ने इस्लामाबाद को चिंतित किया है, जो इसे एक तरह की दबाव नीति के रूप में देख रहा है।

भारत का कहना है कि सभी कार्य जल संधि के नियमों के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी निजी तौर पर यह मानते हैं कि अब नई दिल्ली सिंधु जल प्रणाली में प्राप्त रणनैतिक बढ़त को नज़रअंदाज़ करने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब आतंकी हमलों की जड़ें पाकिस्तान की जमीन से जुड़ी हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि अब तक युद्धों, संघर्षों और कूटनीतिक टूटनों के बावजूद जीवित रही है। इसे दुनिया के सबसे टिकाऊ जल-विभाजन समझौतों में से एक माना जाता है। लेकिन अब विश्लेषकों का मानना है कि इसकी सहनशक्ति पहले की कड़ी परीक्षा हो रही है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

जैसे-जैसे हिमालयी बर्फ पिघलने लगती है और गर्मियों में सिंचाई की ज़रूरतें बढ़ती हैं, सीमा के दोनों ओर किसान नदी के जल स्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। उनके साथ-साथ राजनयिक और वैश्विक पर्यवेक्षक भी स्थिति पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। जो विवाद तकनीकी रूप से पानी छोड़ने के समय पर शुरू हुआ था, वह अब एक बड़े भू-राजनीतिक संकट में बदल सकता है, जिसकी गंभीरता पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकती है।

अवमानना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 जनवरी, 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह प्रदेश या अन्य राज्य से याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स कराए और पद खाली होने पर उसे नियुक्ति दे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को न तो ब्रिज कोर्स कराया और न ही उसे नियुक्ति दी। ऐसे में दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों को दंडित कर अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है।

तीन माह में न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाए

■ **सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को दिए निर्देश में भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम बनाने की हिदायत दी।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट्स व राज्य सरकारें इन नियमों में अपनी जरुरत के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।**

नयी दिल्ली, 16 मई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे न्यायालय प्रबंधकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

पीठ ने सचिन कुमार गुप्ता और अन्य, कोर्ट मैनेजर वेलफेयर एसोसिएशन और एक रिट याचिका पर अपने फैसले में यह भी कहा कि उन्हें (न्यायालय प्रबंधकों) क्लास-दो राजपत्रित अधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही, 2018 के असम-नियमों को आदर्श माना जाए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से उचित संशोधन या बदलाव करने के लिए स्वतंत्र होंगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि भले ही द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने चार फरवरी, 2022 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी और इस अदालत ने वर्तमान कार्यवाही में दो अगस्त 2018 के फैसले में विशेष रूप से न्यायालय प्रबंधकों की सेवा शर्तों, कर्तव्यों आदि को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों और विभिन्न राज्य सरकारों ने अभी तक उक्त निर्देश का पालन नहीं किया है।

पीठ ने कहा, हमारा यह मानना है कि चूंकि यह न्यायालय लगातार यह मानता रहा है कि पूरे देश में सभी न्यायाधीशों की सेवा शर्तें एक समान होनी चाहिए, इसलिए यह भी आवश्यक है कि न्याय प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायालयों को न्यायालय प्रबंधकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रणाली भी पूरे देश में काफी हद तक एक समान होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि प्रत्येक न्यायिक जिले में न्यायालय प्रशासन के निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से योग्य न्यायालय प्रबंधकों, जिसमें एमबीए डिग्री वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि न्यायालय प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों में जिला न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा न्यायालय प्रबंधकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव किया गया था, ताकि न्यायाधीश अपना समय न्यायनिर्णयन के अपने मूल कार्यों में लगा सकें। शीर्ष अदालत ने पाया कि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने कोई नियम नहीं बनाए और न्यायालय प्रबंधकों को केवल अनुबंध के आधार पर या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया था। कुछ राज्यों ने तो पदों को समाप्त भी कर दिया।

राजनीतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विलय की वार्ता गोपनीय रूप से चल रही है। नतीजे अनिश्चित है। जहाँ राजनैतिक जरूरत दोनों गुटों को पास ला रही हैं, वहीं अहं का टकराव व कई ऐसी शिकायतें हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ है और ये बड़ी बाधा पैदा कर रही हैं। अभी महाराष्ट्र का राजनैतिक परिदृश्य बेहद नाज़ुक है। देखना यह है कि क्या पुराने घावों और वैचारिक मतभेदों पर व्यवसायिक हितों और पारिवारिक रिश्तों को तवज्जो मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तैयार है, लेकिन उसके उद्घाटन की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री विशेष विमान से बीकानेर आएंगे और बॉर्डर एरिया में जवानों से मुलाकात भी करेंगे या नहीं, इस बारे में पुष्टि नहीं हो सकी है।

जानकारी के अनुसार, इससे पहले मोदी 23 नवम्बर, 24 को विधानसभा चुनाव के समय रोड शो के लिए बीकानेर आए थे। लोकसभा चुनाव में भी मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए मोदी बीकानेर आते रहे हैं।

'स्कूल फीस के निर्धारण के लिये ...

■ **इस मामले में याचिकाकर्ता विद्याश्रम स्कूल के वकील प्रतीक कासलीवाल की ओर से कहा गया है कि कानून बनने के नौ साल बाद भी राज्य सरकार ने रिवीज़न कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार की ओर से मई,2024 में बयान जारी किये गये थे कि तीन सप्ताह में कमेटी गठित कर दी जायेगी।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्कूल में स्कूल की फीस कमेटी होती है, जिसमें अध्यापकों के अलावा अभिभावक भी सदस्य होते हैं। यह कमेटी दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी सहमति से ही स्कूल फीस की दर तय करती है। अगर दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष स्कूल फीस कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो उसे डिवीजन कमेटी के समक्ष चुनौती दी, जा सकती है।

प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि "स्कूल फीस कमेटी" के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिवीज़न कमेटी के समक्ष चुनौती दी, तत्पश्चात, डिवीज़न कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिकाकर्ता का कहना है कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 में, डिवीज़न कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता डिवीज़न कमेटी के आदेश को रिवीज़न कमेटी में चुनौती देना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस रिवीज़न कमेटी का गठन ही नहीं किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में मई, 2024 में सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीज़न कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। ऐसे में अदालत ने डिवीज़न कमेटी के आदेश पर रोक लगाते हुये, राज्य सरकार को रिवीज़न कमेटी का गठन करने को कहा था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक्ट बनने के नौ साल बीतने और राज्य सरकार की ओर से तीन सप्ताह में कमेटी गठन की अंडरटेकिंग देने के बाद भी अब तक रिवीज़न कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव से कमेटी गठित नहीं करने को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

विजय शाह केस 19 मई को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

भोपाल, 16 मई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर मंत्री विजय शाह उलझ गए हैं। हाईकोर्टके फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। सीजेआई ने पहले दिन उन्हें खूब सुनाया था। शुक्रवार को फिर से सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई किसी वजह से स्थगित हो गई है। अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। इस दौरान एमपी हाईकोर्ट का फैसला कायम रहेगा। दरअसल, एमपी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंत्री विजय शाहपर इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। कोर्ट के निर्देशन पर धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके बाद मानपुर पुलिस विवादित बयान का जांच कर रही है। वहीं, पुलिस जांच की मॉनिटरिंग एमपी हाईकोर्ट करेगी।

बलूच नेताओं ने हिन्दुस्तान में ''गवरमैंट इन ...

■ **रज़्ज़ाक बलूच के अनुसार, बलूचिस्तान की क्वेटा में कैन्टून्मैंट के अलावा पाकिस्तानी सेना की कोई चहल कदमी नहीं है, बलूचिस्तान में, और धीरे-धीरे बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम ज़मीन पर काफी फैल गया है तथा स्वतंत्रता संग्राम को सफलता शीघ्र ही जरुर मिलेगी।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बलूच, तारा चंद और अन्य बलूच नेता भारत से, एक निर्वासित सरकार स्थापित करने में सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए औपचारिक कार्य आरंभ किया जा सके।

बलूचिस्तान का प्रवासी समुदाय अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट और यूरोप में फैला हुआ है, जो स्वतंत्र बलूचिस्तान के लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। ये प्रवासी नेता बलूचिस्तान के भीतर चल रहे आंदोलन से भी तालमेल बनाए हुए हैं। इन प्रवासी नेताओं का कहना है कि ''क्रूर'' पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में दमन और नियंत्रण की चरम सीमाएं पार कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के प्रमुख नेताओं और युवा स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर रही है और कइयों को मारा जा रहा है। तथापि, बलूच नेताओं को पूरा भरोसा है कि जल्दी ही आज़ादी का यह आंदोलन सफल होगा और पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया जाएगा।

बलूच नेता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए एक संगठित निर्वासित सरकार के गठन की योजना बना रहे हैं। रज़्ज़ाक बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान भू-राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी स्वतंत्रता पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता ला सकती है।

महरंग बलूच और अन्य कई नेता बलूचिस्तान में ज़मीन पर काम कर रहे हैं। महरंग फिलहाल जेल में हैं और बलूच नेता उन्हें रिहा करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रज़्ज़ाक बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान में पंजाबी शासक असुरक्षित महसूस करते हैं और वे केवल क्वेटा की छावनी तक सीमित हैं।

रज़्ज़ाक बलूच ने यह भी दावा किया कि बलूचिस्तान का 70-80प्रतिशत हिस्सा पहले ही पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त हो चुका है और अब केवल राजधानी क्वेटा ही पाकिस्तान के नियंत्रण में है। बलूच नेता बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना शाम पांच बजे के बाद छावनी से बाहर नहीं निकल सकती।

बलूच नेताओं का कहना है कि उनका संघर्ष अपनी मातृभूमि पर अधिकार प्राप्त करने का है। रज़्ज़ाक बलूच और अन्य बलूच नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूच युवाओं का नरसंहार कर रही है। उन्होंने बताया कि बलूच नेता अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी एक सशक्त अभियान चला रहे हैं। बलूच नेता यह भी कह रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब के पंजाबी लोगों का बलूचों या अरब देशों से कोई डीएनए या सांस्कृतिक संबंध नहीं है। पंजाबी और मिडिल ईस्ट लोगों में कोई कनैक्शन नहीं है। उनको विश्वास है कि वे अपने आत्म-निर्णय के अधिकार को अवश्य हासिल करेंगे।

उनका यह भी कहना है कि सिंध, पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान को आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता की अनुमति दी जानी चाहिए।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600